

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2790]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 2790]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 3511(अ).**—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में दक्षिण पूर्व रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के चक्रधरपुर मंडल, जहां 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद् द्वारा अधिसूचित करता है।

[ फा. सं. हिन्दी 2015/रा.भा. 1/12/2]

के. पी. सत्यानंदन, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2015

**S. O. 3511(E).**— Ministry of Railways (Railway Board) in pursuance of Sub Rule(2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (use for the Official purposes of the Union) hereby, notify the Divisional Railway Manager's office, Chakradharpur Division of South Eastern Railway, where 80% or more Officers/Employees have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi 2015/O.L.-1/12/2]

K.P. SATHYANANDAN, Director (OL)